ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 311-312

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

ग्रामीण भारत में नातेदारी व्यवस्था का महत्त्व

निवेदिता कुमारी
शोध अध्येता– समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार), भारत।

Received- 21.08.2020, Revised- 24.08.2020, Accepted - 27.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***सभी मानव समाजों में चाहे वह आदिम हो या आधुनिक ग्रामीण हो या नगरीय नातेदारी व्यवस्था अवश्य पायी जाती है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के मूलभूत लक्ष्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह से परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था विकसित होती है। सृष्टि के प्रारम्भ से ही व्यक्तियों को समूह में रहने को प्रेरित करने में दो बातों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रथम, आर्थिक हित एवं द्वितीय सामाजिक सुरक्षा। परिणामस्वरूप परिवार से लेकर राष्ट्र तक के छोटे–बड़े संघों के निर्माण की प्रेरणा दी। लेकिन व्यक्ति सर्वाधिक सुरक्षित नातेदारों में जाता है। व्यक्ति राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश आदि सब कुछ बदल सकता है लेकिन नातेदारी नहीं। अपने नातेदारों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, वह अन्य के साथ नहीं।***

कुंजीभूत शब्द– आदिम, आधुनिक ग्रामीण, नगरीय, नातेदारी व्यवस्था, विवाह जीवन, मूलभूत लक्ष्य, सृष्टि।

नातेदारी को समझे बिना हम किसी भी समाज के आन्तरिक स्वरूप को एवं सामाजिक अन्तक्रियाओं को अच्छी तरह नहीं समझ सकते और सामाजिक अन्तःक्रिया को समझे बिना हम किसी समाज को नहीं पहचान सकते। नातेदारी और विवाह विषय मानवशास्त्रीय अध्ययन की केन्द्रीय विषयवस्तु रही है। अनेक मानवशास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों के समाजों का अध्ययन करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं तथा नातेदारी, विवाह, परिवार और अन्य मानवशास्त्रीय विषयों में हमारे ज्ञान की वृद्धि की है। मैक्लैनन, हेनरीमेन, लुइस मार्गन, रेडक्लिपफ ब्राउन, मैलिनोस्की, ईवान्स प्रिचार्ड, मुरडॉक, लेवी स्ट्रॉस, लुई ड्यूमा आदि मानवशास्त्रियों ने नातेदारी व्यवस्था पर उल्लेखनीय अध्ययन किए हैं।

रोबिन फॉक्स लिखते हैं कि "मानवशास्त्र में नातेदारी का वही महत्व है जो दर्शनशास्त्र के लिए 'तर्क' का है अथवा कला के लिए 'नग्नता'। यह विषय की मूलभूत साधना है। वह उसके आकर्षण का एक अंग है।"

आज के औद्योगिक समाज में नातेदारी व्यवस्था भले ही कमजोर हुई है, लेकिन इसकी महत्त्वता में कमी बहुत अधिक नहीं आई। आज हमारी सहायता के लिए कई धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ हैं। इसी प्रकार चिकित्सा सुविधाएँ, पेंशन, अवकाश आदि ऐसे कल्याणकारी प्रावधान हैं जो हमारी कई आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सालय है। शिक्षा का कार्य शिक्षा संस्थाएँ करती हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था है। यानि अब परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था पर व्यक्ति उतना आश्रित नहीं है जितना पहले कभी था। यही कारण है कि हम औद्योगिक समाज में रहने वाले नातेदारी व्यवस्था की महत्वता को नहीं जानते जबकि जनजातियां अपने अस्तित्व के लिए निरन्तर नातेदारी व्यवस्था पर निर्भर रहती हैं।

नातेदारी शब्द के कई अर्थ है। नातेदारी शब्द इतना जटिल है कि इसे प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर लेना चाहिए। नातेदारी शब्द को कई संदर्भों– जैविक, व्यवहार एवं भाषा सम्बन्धी में प्रयुक्त किया जाता है। अतः सर्वप्रथम हमें इन तीनों संदर्भों को अलग–अलग करके देखना चाहिए। जैविक सम्बन्धों को लेकर मनुष्यों में दो प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं। प्रथम, आनुवंशिकता से सम्बन्धित और दूसरा, यौन सम्बन्धों से सम्बन्धित होता है। जिन विशिष्ट सामाजिक सम्बन्धों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो सम्बन्ध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं उन्हें नातेदारी सम्बन्ध कहते हैं।

नातेदारी के अर्थ को देखने के बाद अब हम कुछ परिभाषाओं की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। चार्ल्स विनिक ने मानवशास्त्रीय शब्दकोष में नातेदारी की परिभाषा देते हुए लिखा है कि 'नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन सम्बन्धों को समाविष्ट करते हैं जो अनुमानित तथा रक्त सम्बन्धों पर आधारित हों।'

मजूमदार एवं मदन ने लिखा है कि, 'सभी समाजों में मनुष्य अनेक प्रकार के बन्धनों द्वारा आपस में समूहों में बंधे हुए होते हैं। इन बन्धनों में सबसे अधिक सार्वभौमिक तथा आधारभूत बन्धन वह है जो सन्तानोत्पत्ति पर आधारित होता है– सन्तानोत्पत्ति मानव की स्वाभाविक इच्छा है और यही नातेदारी कहलाती है।'

रेडक्लिपफ ब्रॉउन के अनुसार, 'नातेदारी सामाजिक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश सम्बन्ध है जो कि सामाजिक सम्बन्धों के परम्परात्मक सम्बन्धों का आधार है।'

लूसी मेयर लिखती है कि, नातेदारी में सामाजिक सम्बन्धों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रिवर्स का कहना है कि, 'नातेदारी की मेरी परिभाषा उस सम्बन्ध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है।' रॉबिन पफॉक्स नातेदारी की सरल परिभाषा देते हुए कहते हैं कि, 'नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात् वास्तविक अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य सम्बन्ध है।'

ग्रामीण नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्धों की व्यवस्था से है जो कि प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर सम्बन्धित है अर्थात् विवाह या रक्त सम्बन्धों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति (नातेदार) नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। समाज के सदस्य विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों द्वारा अनेक समूहों में परस्पर बंधे रहते हैं। इन सम्बन्धों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सम्बन्ध वे हैं, जो प्रजनन पर आधारित होते हैं और इन सम्बन्धों को ही नातेदारी व्यवस्था (बन्धुत्व प्रथा अथवा स्वजनता प्रथा) कहा जाता है।

रॉबिन पफाक्स के अनुसार, सामाजिक संरचना के रूप में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन वकीलों एवं तुलनात्मक विधिशास्त्र के क्षेत्रों द्वारा प्रारम्भ किए गये। इसी कारणवश आज नातेदारी व्यवस्था का अध्ययनों में कानूनी संज्ञायें, जैसे अधिकार, कर्तव्य, अनुबन्ध पितृ बन्धुता या सपिण्डता आदि पर विशेष बल दिया जाता है।

इसका कारण अत्यन्त सरल है वह यह कि नातेदारी प्रथा उत्तराधिकार अनुक्रमण तथा विवाह से सम्बन्धित प्रथा है। नातेदारी रक्त एवं विवाह सम्बन्धों के द्वारा बंधे व्यक्तियों के बीच पायी जाती है। परिवार वंश, कुल, गोत्र आदि ऐसे समूहों के कुछ उदाहरण हैं। इन सम्बन्धों में से अत्यन्त सार्वभौम एवं अत्यधिक आधारभूत सम्बन्ध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। इन्हीं सम्बन्धों को नातेदारी व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है।

गाँवों में नातेदार अनेक सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका निभाते हैं। सम्पत्ति के उत्तराधिकार एवं विवाह क्षेत्र का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। जहाँ मातृसत्तात्मक परिवार पाये जाते हैं, वहाँ उत्तराधिकार का निर्धारण मातृपक्ष से और जहाँ पितृसत्तात्मक परिवार पाये जाते हैं कि एक व्यक्ति के लिए विवाह–साथी चुनने का दायित्व किस पर है? जीवन साथी के चयन का क्षेत्र क्या होगा अर्थात् वह किन लोगों से विवाह कर सकता है? किसको प्राथमिकता देगा और किनसे विवाह की मनाही है। इसमें बहिर्विवाह और अन्तर्विवाह के नियम आते हैं। गाँवों में विवाह साथी का चयन नगरों से भिन्न प्रकार का होता है। नगरों में लड़का एवं लड़की जीवन–साथी के चुनाव में मुख्य भूमिका स्वयं निभाने लगे हैं जबकि गाँवों में यह कार्य नाई, पाण्डित या परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा किया जाता रहा है। गाँवों में बन्धुत्व सम्बन्धी नातेदारी व्यवस्था पायी जाती है जैसे सम्मान प्रकट करने वाली नातेदारी–पिता, पितामह, माता, दादा, दादी, चाचा, ताउफ आदि। कुछ नातेदारियाँ परिहास वाले होते हैं, जैसे–सास एवं दामाद, सास एवं बहू, ससुर और पुत्रवधू, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी आदि के बीच कुछ नातेदारी परिहास वाले होते हैं जैसे–देवर–भाभी, जीजा–साली एवं साला, समधी आदि। इनमें परस्पर हंसी मजाक के सम्बन्ध पाये जाते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चार्ल्स विनिकः डिक्शनरी ऑपफ एन्थ्रोपोलॉजी, पृ.302.
2. लूसी मेयरः सामाजिक विज्ञान की भूमिका (हिन्दी अनुवाद), पृ.65.
3. डब्ल्यू एच.आर. रिवर्सः सोशल आर्गनाइजेशन, पृ. 41.
4. रॉबिन पफॉक्सः ओपी सीट (हिन्दी अनुवाद), पृ. 25.
5. सोरोकीनः सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी, वो.।।, पृ.445.

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*